बिहार–सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सीवान

अति अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 02 वर्ष 2026–27

(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, सीवान।

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि : दिनांक–14.07.2026

3. निविदा कागजात डाउनलोड करने की तिथिः 25.07.26 से 30.07.26 को 3 बजे अपराहन् तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

4. निविदा अपलोड करने की तिथि एवं समयः दिनांक 30.07.26 को 3 बजे अपराहन् तक (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

5. निविदा (तकनीकी वीड) खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 31.07.26 को 5.00 बजे अपराहन् (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

6. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि से संबंधित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक– 31.07.26 को 3.00 बजे अपराह्न तक

   (1) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान

   (2) अधीक्षण अभियंता,लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा

   (3) क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर।

1. **कार्य की विवरणी :–**

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि (लाख में)	परिमाण विपत्र का मूल्य	बेलट्रॉन प्रोसेसिंग फीस (अन्य कर सहित)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of 60 nos. x 125mm x 40mm dia X 61 meter deep hand operated T/well with India Mark II Hand Pump with construction of 1.85 Mtr dia circular P.C.C. Platform and 3.0 M P.C.C drain and Soak pit for the 2026-27 in the district of Siwan under P. H. Division, Siwan.	56.46	1.13	Rs. 10,000.00	As per eproc2	03 माह

8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड निष्पादन के बाद समय एवं तिथि वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर सूचित की जायेगी। (सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर)

9. निविदा की वैद्यता की तिथि : निविदा खोलने की तिथि से 120 दिनों तक।

10. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना या अन्य शर्तें कार्यालय के सूचनापट्ट पर अथवा www.eproc2.bihar.gov.in वेवसाईट पर देंखा जा सकता है।

11. ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID), पासवर्ड (Password), अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउन लोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

निविदा की अन्य शर्तें :–

12. प्राक्कलित राशि घट बढ़ सकती है अग्रधन की राशि यथावत रहेगी।

13. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in से प्राप्त करनें के उपरान्त वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भरकर भेज सकते है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात यथा अग्रधन की राशि/अन्य सभी प्रमाण पत्र, जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

14. विभागीय अधिसूचना संख्या 6/वि0–10162/07–552, दिनांक 28.05.2009 के आलोक में समुचित श्रेणी में सूचीबद्ध संवेदक ही निविदा में भाग ले सकेगें।

15. बेल्ट्रॉन का प्रोसेसिंग की + अन्य कर (जो लौटाया नहीं जायेगा) केवल ऑनलाईन भुगतान के रूप में मान्य होगा। जो कि Internet Payment gatway (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS के भुगतान होगा।

16. वैसे संवेदक जिनके लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन कार्य बकाया है एवं जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है अथवा ससमय आवंटित कार्य का संपादन नहीं गया है तथा उनके पास पूर्व आवंटित कार्यो के निधारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि 80 प्रतिशत से कम है उन्हें असफल घोषित किया जा सकता है। निविदा में शामिल होने वाले सभी संवेदको को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि उनके जिम्में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं है। अगर किसी विभागीय कारण से भी किसी एकरारनामा का कार्य लंबित है तो इसकी सूचना श्री प्रतिशपथ में दिया जाना अनिवार्य होगा। गलत शपथ पत्र दिये जाने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अग्रधन की राशि राज्यसात कर ली जायेगी।

17. सफल निविदाकार को लोक निर्माण संहिता में निर्धारित समय अवधि के अंदर एकरारनामा सम्पन्न कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा। इससे भिन्न स्थिति में उनकी निविदा रद्द कर अग्रधन की राशि जब्त करनें की कार्रवाई, बिना किसी पृच्छा के प्रारंभ कर दी जायेगी।

18. गृह विभाग बिहार सरकार के पत्रांक–01/अ0मु0स0को/2021/29/अ0मु0स0को0 दिनांक– 25.01.2021 के आलोक में चरित्र प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।

19. निविदा में सफल होने एवं कार्य आवंटन होने के पश्चात् समय सीमा के अन्दर कार्य करनें में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो निविदा के साथ जमा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुनर्निविदा की स्थिति में उन्हें निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

20. सफल निविदाकारों की एकरारनामा के पूर्व वैट स्वच्छता, विश्रापित कार्य अनुरूप आवश्यक श्रम संबंधी अनुज्ञाप्ति भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 अन्तर्गत पंजीकरण आदि जमा करना होगा। इसके अभाव में होने वाले प्रतिकूल परिस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगे।

21. निर्माण श्रमिकों के कल्याणर्थ कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत (1) उपकर की कटौती संवेदक के विपत्र से की जायेगी।

22. ससमय कार्य समाप्ति की बाध्यता संवेदक की होगी।

23. वैसे संवेदक, जिनका कोई भी संबंधी कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखापाल या कनीय अभियंता के अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में अंचल/प्रमण्डल अन्तर्गत कार्यरत है, निविदा में भाग नहीं ले सकेगें।

24. किसी प्रकार के शुद्धि पत्र को वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

25. प्राक्कलित राशि से कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाताओं को एकरारनामा के समय नियानुकूल अतिरिक्त जमानत की राशि (Additional Performance Guarantee) जमा करना होगा।

26. कार्य की प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। निविदा आमंत्रण सूचना में अंकित अग्रधन की राशि पर ही मान्य होगा। शेष राशि एकरारनामा के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

27. निविदा के समय संवेदको को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड/निविदा से **Debar** नहीं किये गये है एवं उनका कोई कार्य "Rescind" नहीं हुआ है। शपथपत्र की मूल प्रति अग्रधन राशि के साथ जमा करना होगा। यह शर्त्त निविदा निष्पादन की तिथि तक मान्य होगा।

28. सभी शपथ संवेदकों को निबंधन उत्पादन एवं मद निषेध विभाग, बिहार सरकार के अद्यतन अधिसूचना के आलोक मे 100.00 (एक सौ) रूपयें के स्टाम्प एवं 25 (पचीस) रूपयें के एडवोकेट फंड के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा।

29. निविदा डालनें से पूर्व सभी निविदादाता कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट कर लेगें, बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

30. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करनें/रद्द करनें काह अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग को सुरक्षित है।

31. संवेदक "Scan" कर मूल कागजातों को "Upload" करनें पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रम संख्या/पृष्ट संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी Documents PDF, MS Office (Compatibility mode), JPEG, Zip Formet में ही Uplod किया जाय, अन्य format में Uploaded documents के Download/Open नहीं होनें पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

32. इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटी होने के संबंध में संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदको को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय से पूर्व ही www.eproc2.bihar.gov.in पर वीड को Uploaf एवं आवश्यक ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

33. विभाग से संबंधित सूचना/शिकायत के लिए हेल्पलाईन 18003456161 का उपयोग किया जा सकता है। ई0–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई0–प्रौक्यूरमेंट हेल्प डेस्क पहला मंजिल, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया विल्डिंग, रोड नं0– 25, श्री कृष्णा नगर, पटना– 800001 से संपर्क किया जा सकता है, दूरभाष संखया 0612–2523006/7542028164 पर ही हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।

34. निविदा के साथ अध्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड एवं GST Registration संलग्न करना अनिवार्य होगा।

35. संवेदक को अनिवार्य रूप से निर्माण कराये चापाकलों के जल की गुणवत्ता की जाँच क्षेत्रीय जलजाँच प्रयोगशाला में कराने, पलेटफार्म/नाली के निर्माण एवं निर्मित चापाकलों से पानी गिरते हुए ली गई फोटोग्राफ्स तथा निर्माण किये गये सोख्ता का फोटोग्राफ्स कार्यालय को कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही एम0आ0एस0 पी0एच0ई0डी0 पर अपलोडिंग एवं चापाकलों का जियोटैगिंग कराया जाना अनिवार्य होगा।

36. संवेदक को बोरिंग करने हेतु क्षिद्रण मशीन (RIG Machine/Reverse Rotary Machine) का स्वामीत्व/लीज का शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना है।

Ritu Kumari
कार्यपालक अभियंता, 14.07.26
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीवान।
14/7/26